न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 286 / 2022

जीसीएमएस नं. :—2022 / 00286

1. संतोष पुत्री लादूराम पत्नी बनवारीलाल जाति शर्मा निवासी नेठराना हाल जोडकिया तहसील हनुमानगढ।
2. भूरीदत्त पुत्र लादूराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. नत्थूराम पुत्र लादूराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद पुत्र शिवलाल जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. प्रेमलता पत्नी कृष्ण पुत्री ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. लीलाधर उर्फ रजनीश पुत्र ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
2. ठाकरराम पुत्र हुकमाराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. आत्माराम
4. हनुमान
5. महीराम
6. कृष्ण
7. अनपूरी
8. मोहरादेवी

} पुत्र पुत्रियां ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. बलराम पुत्र ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. मनोज कुमार } पुत्रान माता सीतादेवी जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील
11. सुरेश कुमार } भादरा जिला हनुमानगढ।
12. मनीराम वल्द शिवलाल जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा –फौत
13. धोला देवी उर्फ सरोज पत्नी मनीराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. कमलेश } पुत्र–पुत्री मनीराम जाति शर्मा साकिन नेठराना
15. कुसुम } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. बद्रीप्रसाद पुत्र शिवलाल जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
18. अशोक पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
19. राहुल पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
20. अनु पुत्री कृष्ण कमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
21. रूकमा पुत्री बद्रीप्रसाद }
22. अनिता पुत्री बद्रीप्रसाद } जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील
23. रामदयाल पुत्र लादूराम } भादरा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2022
द्वारा उपखंड अधिकारी, भादरा
प्र. सं. 22/2020 अनवान रामसिंह बनाम भूरीदत्त आदि

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री भरतसिंह बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2261

निर्णय

दिनांक 23.6.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पक्षकारान एवं अपील में अन्य पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमागनढ द्वारा प्रकरण सं0 22/2020 अनवानी प्रकरण रामसिंह बनाम भूरीदत्त आदि में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 से चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 में पश्चिमी तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 23 की सहखातेदारी भूमि में से स्वीकृत किया गया है एवं रास्ते में आई भूमि के बदले में मु. नं. 31 किला नं. 7 में से दक्षिणी तरफ तीन बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वितीय पक्ष की कम की जाकर अपीलांट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 23 के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. उभयपक्ष ने दिनांक 13.04.2023 को राजीनामा प्रस्तुत करते हुए मुताबिक राजीनामा निर्णय करने का कथन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमागनढ द्वारा प्रकरण सं0 22/2020 अनवानी प्रकरण रामसिंह बनाम भूरीदत्त आदि में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2022 से चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 मे पश्चिमी तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 23 की सहखातेदारी भूमि में से स्वीकृत किया गया है एवं रास्ते में आई भूमि के बदले में मु. नं. 31 किला नं. 7 में से दक्षिणी तरफ तीन बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वितीय पक्ष की कम की जाकर अपीलांट व रेस्पोडेण्ट सं0 2 ता 23 के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि दोनों पक्ष मुताबिक राजीनामा निर्णय करने हेतु सहमत है। मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.08.2022 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट्स प्रथम पक्ष व रेस्पोडेण्ट्स सं0 2 ता 23 की सहखातेदारी भूमि चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 के पत्थर लाईन पश्चिमी तरफ उत्तर–दक्षिण एक–एक गट्ठा रास्ता अर्थात

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

२२६/२३ आदे

प्रत्येक किला में 0.013 है0, 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। रास्ता में आई भूमि के बदले में (रेस्पोडेण्ट सं0 1) द्वितीय पक्ष की चक 6 एन.टीआर. के मु. नं. 31 के किला नं. 10 में 0.015 हैक्टर, किला नं. 9 में 0.015 हैक्टर व किला नं. 8 में 0.014 हैक्टर भूमि व किला नं. 7 में 0.014 हैक्टर भूमि जो कि उक्त किलों में दक्षिण तरफ पूर्व–पश्चिम है, कुल चारों किलेजात में 0.058 हैक्टर भूमि अपीलाण्ट्स प्रथम पक्ष वगैरा खाता सं0 85/72 खाता आत्माराम वगैराह के सांझे खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Sd/-
23/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़